

उत्तर प्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

संख्या: 2/2023/09/18-02-2023/18-2099/116/2022(ल030)/2022

लखनऊ:दिनांक: 20 मार्च, 2023

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 के पैरा-5.1.6.2 एवं पैरा-5.3.3 के उप-पैरा-5.3.3.1, 5.3.3.2, 5.3.3.3 तथा 5.3.3.4 में उपबंधित, निम्न अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा-प्रदर्शित लिखतों के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा-प्रदर्शित सीमा तक छूट प्रदान करती है-

अनुसूची

नीति का पैरा	प्रयोजन और अन्य विवरण	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति और अनुसूची 1-ख की अनुच्छेद संख्या
1	2	3	4
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 के पैरा-5.1.6.2	प्रदेश में निजी क्षेत्र द्वारा 10 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के एम0एस0एम0ई0 औद्योगिक पार्क/एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री काम्प्लेक्स इकाइयों हेतु विकासकर्ता को भूमि की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में छूट-	100 प्रतिशत	अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-	प्रदेश में स्थापित होने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की औद्योगिक-		अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2022 के पैरा-5.3.3	इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में छूट		अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा
	(एक) बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में	(एक) 100 प्रतिशत	
उप-पैरा-5.3.3.1, उप-पैरा-5.3.3.2, उप-पैरा-5.3.3.3, तथा उप-पैरा- 5.3.3.4,	(दो) मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जिलों को छोड़कर) में	(दो) 75 प्रतिशत	
	(तीन) गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जिला में	(तीन) 50 प्रतिशत	
	(चार) महिला उद्यमियों को प्रदेश में कहीं भी उद्यम स्थापित करने के लिए	(चार) 100 प्रतिशत	

2- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2022 के पैरा 5.1.6.2 एवं पैरा अधीन निवेशक इकाई द्वारा प्राप्त स्टाम्प शुल्क में छूट के समतुल्य बैंक प्रत्याभूति जमा करायी जायेगी, जो कि इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की पुष्टि जिला के जिला मजिस्ट्रेट अथवा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जायेगी।

3- इस अधिसूचना के अधीन छूट, तभी अनुमन्य होगी यदि सम्बन्धित जिला का जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, ऐसे लिखत पर तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण, उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए:-

"पूर्वांचल" में इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या तथा देवीपाटन राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "मध्यांचल" में लखनऊ एवं कानपुर राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "बुन्देलखण्ड" में चित्रकूट धाम एवं झांसी राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "पश्चिमांचल" में आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर और बरेली राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:2/2023/09/18-02-2023/18-2099/116/2022(ल0 30)/2022, दिनांक: 20 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) , उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रो0 विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश कानपुर।
7. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
- 10.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11.समस्त अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), पदेन जिला निबंधक, उत्तर प्रदेश।
- 12.समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।
- 13.समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
- 14.समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन/जनपदीय उपायुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।
- 15.गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16.विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 17.भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
- 18.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवीश गुप्ता

विशेष सचिव,

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
Sukshm, Laghu Evam Madhyam Udyam Anubhag -2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.2/2023/09/18-02-2023/18-2099/116/2022(LU)/2022 Dated, 20 March, 2023

Notification
Order

No-2/2023/09/18-02-2023/18-2099/116/2022(LU)/2022
Lucknow Dated, 20 March, 2023

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act. 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instruments as shown in column-4 of the said Schedule for the purpose provided in paragraph 5.1.6.2 and sub-paragraph 5.3.3.1, 5.3.3.2, 5.3.3.3 and 5.3.3.4 of paragraph 5.3.3 of the Uttar Pradesh Micro Small and Medium Enterprises Promotion Policy-2022 of the state as mentioned in Column-2 of the Schedule below.

SCHEDULE

Paragraph of the Policy	Purpose and other Detail	Extent of remission	Nature of Instrument and Article number of Schedule-1B
1	2	3	4
Paragraph 5.1.6.2 of Micro Small and Medium Enterprises Promotion Policy-2022	On the purchase of land by the developer of the private sector, for MSME Industrial Park/Estate/Flatted Factory Complex units of 10 acres or more area in the state, The Stamp duty will be exempted-	100%	Conveyance, Under clause (a) of Article 23.
In the Paragraph 5.3.3 of Micro Small and Medium Enterprises Promotion policy-2022	For the establishment of industrial units of Micro, Small and Medium Enterprises in the state, the Stamp duty will be exempted-		Conveyance, Under clause (a) of Article 23 and Lease under Article 35.
Sub-Paragraph 5.3.3.1 -	(1) in Bundelkhand & Poorvanchal.	(1) 100%	

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Sub-Paragraph 5.3.3.2-	(2) in Madhyanchal & Paschimanchal (except Gautambuddhnagar & Ghaziabad districts).	(2) 75%	
Sub-Paragraph 5.3.3.3- and	(3) in Gautambuddhnagar & Ghaziabad districts.	(3) 50%	
Sub-Paragraph 5.3.3.4	(4) For women entrepreneurs anywhere in the state	(4) 100%	

2. Under the above paragraphs 5.1.6.2 and 5.3.3 of Uttar Pradesh Micro Small and Medium Enterprises Promotion policy-2022, Bank guarantee equivalent of the amount to the exemption of stamp duty received by the investing unit will be deposited, which will be released after the unit starts commercial production. The starting of commercial production will be confirmed by the District Magistrate of the district or the General Manager, District Industries Center.

3. The exemption under this notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre of the concerned district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said policy.

Explanation- For the purpose of this notification :

"Purvanchal" shall include the revenue divisions of Allahabad, Varanasi, Mirzapur, Azamgarh, Basti, Gorakhpur, Faizabad and Devipatan. "Madhyanchal" shall include the revenue divisions of Lucknow and Kanpur. "Bundelkhand" shall include the revenue divisions of Chitrakoot Dham and Jhansi. "Paschimanchal" shall include the revenue divisions of Agra, Aligarh, Moradabad, Meerut, Saharanpur and Bareilly.

By Order,

Amit Mohan Prasad
Additional Chief Secretary

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।